



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092022-239186
CG-DL-E-28092022-239186

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4375]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2022/आश्विन 6, 1944

No. 4375]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022/ ASVINA 6, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2022

का.आ. 4564(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी की रैंक के समतुल्य हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थान के प्रवर्गों के संबंध में अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे, अर्थात्:

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थान के प्रवर्ग तथा अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
निवासी निदेशक, दामोदर घाटी निगम, रांची	रांची में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर दामोदर घाटी निगम के स्वामित्व वाली या पट्टे पर दी गई फिटिंग्स और फिक्स्चर्स सहित समस्त भूमि, भवन, क्वार्टर, आउटहाउस और अन्य आवासा।

[फा. सं. 1/03/2020 -डीवीसी]]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2022

S.O. 4564(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer equivalent to the rank of Gazetted officer in the Government of India, to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table, namely:-

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
Resident Director, Damodar Valley Corporation, Ranchi	All lands, buildings, quarters, outhouses and other accommodation including fitting and fixture owned or leased by Damodar Valley Corporation within the local limits of its jurisdiction at Ranchi

[F. No. 01/03/2020-DVC]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2022

का.आ. 4565(अ).—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित अधिकारी, जो कि भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी की रैंक के समतुल्य हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थान के प्रवर्गों के संबंध में अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेंगे, अर्थात्:-

सारणी

अधिकारी का पदनाम	सरकारी स्थान के प्रवर्ग तथा अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं
(1)	(2)
प्रभारी (पारेषण प्रणाली संनिर्माण (टीएससी)-III प्रभाग, पंचेट)	पारेषण प्रणाली संनिर्माण-III प्रभाग, पंचेट के अधीन अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर दामोदर घाटी निगम के स्वामित्व वाली फिटिंग्स और फिक्स्चर्स सहित समस्त भूमि, भवन, क्वार्टर, आउटहाउस और अन्य आवास।

[फा. सं. 1/03/2020 -डीवीसी]]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2022

S.O. 4565(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in column (1) of the Table below, being officer equivalent to the rank of Gazetted officer in the Government of India, to be estate officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on estate officer by or under the said Act, within the local limits of the jurisdiction in respect of the categories of public premises specified in column (2) of the said Table, namely:-

TABLE

Designation of the officer	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
(1)	(2)
In-Charge (Transmission System Construction (TSC)-III Division, Panchet)	All lands, buildings, quarters, outhouses and other accommodation including fitting and fixtures owned by Damodar Valley Corporation within the local limits of jurisdiction under Transmission System Construction-III Division, Panchet

[F. No. 01/03/2020-DVC]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.